13/5/2017 केम्प माडपुर

पत्रावली आज आयुक्तार केम्प माडपुर में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी जरिये तहसीलदार देवली उपस्थित। वादी ने यह वाद विरुद्ध राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवली अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RT Act प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि राजस्व मौजा माडपुर में स्थित राजकीय सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 480 रकबा 1.93 हैक्टेयर किस्म बारानी पर वादी का कब्जा कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व निरन्तर होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा का निवेदन किया है। इस संबंध में उपस्थित जरिये तहसीलदार देवली ने राजस्व अभिलेखों की प्रस्तुत प्रतियों का अवलोकन करवाते हुए यह निवेदन किया है कि अभिलेखीय साक्ष्य जो वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार वादी का राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा संवत् 2041 से ही है तथा वादी के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थापित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाकर मौके से उक्त राजकीय भूमि से कब्जा हटा दिया गया है वर्तमान में वादग्रस्त भूमि राजकीय है जो प्रतिवादी के प्रतिनिधि पटवारी की देखरेख में है। मौके पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। विद्वान तहसीलदार देवली ने हमारे समक्ष RRD 1988 पेज 364, RRD 2005 पेज 497, के उदाहरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जागीर पुनर्ग्रहण के समय एवं काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी लागू होने के समय अभिलेखीय साक्ष्य प्रमाणित होने के अभाव में किसी भी अतिक्रमी को राजकीय सिवायचक भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। वादी अतिक्रमी है तथा उसका कब्जा हटा दिया गया है अतः वाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष साक्ष्य एवं तहसीलदार देवली द्वारा प्रस्तुत नजीर उदाहरणों को

जेठुसिंह

(राजेश मेवाड़ा)
प्रभारी अधिकारी रा.लो.अ. केम्प माडपुर
उपखण्ड अधिकारी ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	भी ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वादी संघ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा संवत 2041 से ही है ऐसी स्थिति में भी कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व यानि संवत 2012 से पूर्व होना प्रमाणित नहीं है। चूंकि साक्ष्य के अनुरूप राजकीय सिवायचक भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा अनुज्ञेय नहीं की जा सकती। यदि संवत 2041 से वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का प्रश्न है इस संबंध में वादी पृथक से राजस्थान (भूमि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकृत अधिकारी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः इस वाद को लम्बित रखा जाना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुरत्तिब हो। आदेश आज दिनांक 13/3/2017 को मंजूरा ए खास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न से जमा हो। (राजेश मेवाड़ा) RAS **(राजेश मेवाड़ा)** प्रभारी अधिकारी रा.लो.अ. केम्प सांडेराव उपखण्ड अधिकारी, देसूरी	